

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022

प्रलिस के लयः

भारतीय न्यायपालका, मामले नपलान दर, उच्च न्यायालय और नचले न्यायालय ।

मेन्स के लयः

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 ।

चर्चा में क्यों?

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (IJR) 2022 के अनुसार, कर्नाटक ने एक करोड़ से अधिक आबादी वाले 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में न्याय प्रदान करने के संदर्भ में शीर्ष स्थान हासिल किया है ।

- रिपोर्ट में तमलिनाडु को दूसरा, तेलंगाना को तीसरा और उत्तर प्रदेश को सबसे नीचे 18वाँ स्थान दिया गया है ।

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट:

- IJR सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, कॉमन कॉज़ और कॉमनवेलथ ह्यूमन राइट्स इनशिएटिवि के सहयोग से टाटा ट्रस्ट की एक पहल है ।
- यह पहली बार वर्ष 2019 में प्रकाशित हुई थी ।
- यह प्रत्येक राज्य के समग्र प्रदर्शन का आकलन करने हेतु पुलिसि, न्यायपालका, जेल और कानूनी सहायता जैसे कई मापदंडों पर विचार कर न्याय वतिरण के संदर्भ में राज्यों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करती है ।

प्रमुख बढि

- न्यायपालका के प्रदर्शन का मूल्यांकन:**
 - एक करोड़ से कम आबादी वाले 7 छोटे राज्यों की सूची में सक्किमि का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहा, वर्ष 2020 में सक्किमि दूसरे स्थान पर था ।
 - सक्किमि के बाद अरुणाचल प्रदेश और त्रपुरा क्रमशः दूसरे व तीसरे स्थान पर हैं । सबसे नमिन प्रदर्शन के साथ गोवा राज्य सातवें स्थान पर है ।
- न्यायाधीशों की कमी:**
 - भारतीय न्यायपालका** में न्यायाधीशों और बुनयादी ढाँचे की काफी कमी है जसि कारण लंबति मामलों की संख्या में वृद्धि, मुकदमों का बढ़ता बोझ और नचले न्यायालयों में मामले की नपलान दर (CCR) में गरिवट देखी जा रही है ।
 - दसिंबर 2022 तक के आँकड़े के अनुसार, उच्च न्यायालय में 1,108 न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या के वपिरीत कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या मात्र 778 है ।
- लंबतिता:**
 - पछिले पाँच वर्षों में अधकिंश राज्यों में प्रतन्यायाधीश लंबति मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है, जबकि न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई ।
 - उच्च न्यायालयों में औसत लंबतिता **उत्तर प्रदेश (11.34 वर्ष) और पश्चमि बंगाल (9.9 वर्ष) में सबसे अधिक है**, जबकि त्रपुरा (1 वर्ष), सक्किमि (1.9 वर्ष) और मेघालय (2.1 वर्ष) में सबसे कम है ।
- मामलों की संख्या में वृद्धि:**
 - वर्ष 2018 और 2022 के मध्य 22 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में प्रतन्यायाधीश मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है ।
- मामले नपलान दर:**
 - वर्ष 2018-19 और 2022 के मध्य उच्च न्यायालयों में मामले नपलान दर (Case Clearance Rate) में छह प्रतशित अंक (88.5% से 94.6%) का सुधार हुआ है, कति नचिली अदालतों में 3.6 अंक (93% से 89.4%) की गरिवट दर्ज की गई है ।

- अधीनस्थ न्यायालयों की तुलना में उच्च न्यायालय प्रतर्विष अधिकी मामलों का नसितारण कर रहे हैं।
 - वर्ष 2018-19 में केवल चार उच्च न्यायालयों में 100% या उससे अधिक का CCR था। वर्ष 2022 में यह 12 उच्च न्यायालयों में दोगुना से भी अधिक हो गया है।

■ कोर्ट हॉल (Court Halls):

- राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध न्यायाधीशों की संख्या के लिये कोर्ट हॉल की संख्या पर्याप्त प्रतीत होती है, कलियदिसिभी स्वीकृत पद भरे जाते हैं तो स्थान एक समस्या बन जाएगी।
- अगस्त 2022 में 24,631 स्वीकृत न्यायाधीशों के पदों के लिये 21,014 कोर्ट हॉल थे, जो 14.7% की कमी दर्शाता है।

National Deficits



Judiciary

Judge vacancy

No court works with a full complement of judges except the High Court of Sikkim and the district courts in Chandigarh.

SC/ST/OBC

At the district court level **no state/UT could fully meet** all its Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes quotas. Data on SC/ST/OBC judges is not available for High Courts.

Case Clearance Rate

Among the 18 large and mid-sized states, **only Kerala could achieve case clearance rates of 100 per cent** and more at both High Court and subordinate court levels.

■ सफ़िरशिनः

- न्यायाधीशों एवं बुनयिदी ढाँचे की कमी भारतीय न्यायपालिका के लिये एक गंभीर चिन्ता का वषिय है, जसिसे लंबति मामलों में वृद्धि हुई है तथा नचिले न्यायालयों में CCR में कमी आई है। सरकार को न्यायाधीशों के रकित पदों को भरकर एवं पर्याप्त बुनयिदी ढाँचा प्रदान करके न्यायकि प्रणाली की दक्षता में सुधार के उपाय के माध्यम से इस मुद्दे का समाधान करने की आवश्यकता है।
- बेहतर पुलसि प्रशिक्षण और बुनयिदी ढाँचे में सुधार, कारागारों में भीड़भाड़ को कम करने एवं न्यायकि प्रणाली की गति और दक्षता में सुधार की आवश्यकता है।
- कानूनी सहायता और पीडति मुआवज़ा योजनाओं तक पहुँच में सुधार सहति अपराध पीडितों की ज़रूरतों पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये।
- इन चुनौतियों का समाधान करके भारत अधिक न्यायसंगत एवं प्रभावी आपराधिक न्याय प्रणाली प्राप्त करने के करीब पहुँच सकता है।

अन्य नषिकरषः

National Deficits



Police

SC/ST/OBCs

Every state has statutorily mandated quotas for SC, ST and OBC. In the police, **only Karnataka** has been able to fulfil these reservations.

Women

Not a single state/UT meets their own reserved quotas for women in police.

Rural-Urban Divide

In 19 states/UTs **urban police stations serve greater populations than their rural counterparts.**

Kerala's urban police stations serve ten times the population of a rural one and Gujarat's four times.






SHRC

33,312

Total number of **pending cases** across all 25 State Human Rights Commissions in March 2021

44%

National average vacancy across 25 SHRCs



CCTVs

Compliance of Supreme Court judgment on installation of CCTVs

Only Arunachal Pradesh reports having CCTV cameras in all 14 spots (as directed by the apex court) in all its 24 police stations. Only 8 states/UTs (Andaman & Nicobar Islands, Arunachal Pradesh, Kerala, Ladakh, Tripura, Karnataka, Delhi, Goa) reported having night vision-equipped CCTVs.





Legal Aid

9,417

The **reduction in the number of Legal services clinics** dropping to 4,742 (2022) from 14,159 (2020)

₹7,322 crore

The total **value of settlement by National Lok Adalats** between 2021-2022



Prisons



32 states where **share of undertrials** is more than 60%



24 states/UTs that **provided education** to less than 5% inmates during 2021



5 states that **didn't provide any vocational training** to inmates in 2021

[स्रोत: द हद्दि](#)

PDF Reference URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/india-justice-report-2022>